समक्ष:आर. एस. नरूला, सी. जे. और एम. आर. शर्मा जे.

अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा और अन्य, अपीलकर्ता,

बनाम

श्री सीता राम और अन्य, *उत्तरदाता।*

1972 का एलपीए 424

16 अगस्त, 1974

*भारत का संविधान (*1950) - अनुच्छेद 14, *16, 154, 187* और *309* - विधान सभा के सचिवालय कर्मचारियों की नियुक्ति - *अनुच्छेद* 187 (3) *के तहत राज्यपाल द्वारा नियमों का निर्माण - क्या अनिवार्य—ऐसी नियुक्तियां—चाहे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल-राज्यपाल द्वारा जारी कार्यकारी अनुदेशों के अधीन की जा सकती हों—राज्यपाल, कार्यकारी अनुदेश जारी करते समय—क्या विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों की पात्रता और सेवा की अन्य शर्तों को निर्धारित करना है—ऐसी शर्तें जिन्हें अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर छोड़ा जा सकता है—उच्च पदों पर सीधी भर्ती—क्या अनुच्छेद* 14 *और* 16 *के अधीन अधिकारों का उल्लंघन करता है।पदोन्नति की अपेक्षा रखने वाले निचले पदों पर काम करने वालों का गठन।*

ये अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 187 और 309 में निहित धर्मशास्त्र अलग-अलग हैं, फिर भी इस अंतर से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि राज्यपाल को इस मामले को अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ने के बजाय विधानसभा के सचिवालय कर्मचारियों के सदस्यों की सेवा की शर्तों को स्वयं निर्धारित करना चाहिए। अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल के अधिकार के तहत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस सरल कारण से प्रयोग योग्य बनाई गई थी कि कार्यपालिका के तहत सेवाओं की प्रकृति और संख्या बड़ी थी। अध्यक्ष के सचिवालय कर्मचारियों के मामले में भी यही विचार नहीं है। विधान सभा का सचिवालय तुलनात्मक रूप से इतना बड़ा नहीं है। विभाग के प्रमुख के रूप में अध्यक्ष को उन पदों की संख्या और प्रकृति का पता होना चाहिए जो उनके सचिवालय के पास अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए होने चाहिए। राज्यपाल के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह संविधान के अनुच्छेद 187 (3) के तहत राज्य के नियम तैयार करे, इससे पहले कि अध्यक्ष अपने सचिवालय कर्मचारियों की नियुक्ति कर सके। अनुच्छेद 187 (3) में प्रयुक्त शब्द "हो सकता है" को "होगा" शब्द के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस अनुच्छेद के प्रावधान हैं।

इसलिए, प्रकृति में निर्देशिका और राज्यपाल के लिए विधान सभा के सचिवालय कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए अनुच्छेद के तहत नियम बनाना अनिवार्य नहीं है। ऐसी नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों के तहत अध्यक्ष द्वारा की जा सकती हैं। अपने क्षेत्र में अध्यक्ष सर्वोच्च है और संविधान ने उन्हें अपने सचिवालय के प्रमुख के रूप में स्वीकार किया है। जब शक्ति अध्यक्ष जैसे उच्च गणमान्य व्यक्ति में निहित होती है, जो सार्वजनिक कार्य करता है, तो इसे भेदभावपूर्ण के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यदि प्राधिकरण में एक बड़ा विवेक निहित है।

ये अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य का प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को संविधान के तहत एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। एक लोक सेवक नंबर एक के रूप में, वह राज्य के अन्य सभी सार्वजनिक पदाधिकारियों पर वरीयता लेता है। संविधान के अनुच्छेद 154 (1) में प्रयुक्त शब्द, "हालांकि उसके अधीनस्थ अधिकारी" आवश्यक रूप से यह नहीं मानते हैं कि राज्यपाल को एक अधिकारी के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिसे वह स्वयं नियुक्त करता है। ये शब्द इंगित करते हैं कि राज्यपाल द्वारा उन सार्वजनिक पदाधिकारियों के माध्यम से शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जो वरीयता क्रम में निचले स्थान पर हैं। विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों के लिए कार्यकारी निर्देश जारी करते समय राज्यपाल के लिए पात्रता और अन्य निर्धारित करना आवश्यक नहीं है।

कर्मचारियों के सचिवालय की शर्तें। वह सेवा की शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति अध्यक्ष के विवेक को प्रदान कर सकता है।

ये अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में केवल यह प्रावधान है कि राज्य के तहत रोजगार से संबंधित मामले में नागरिक को अवसर की समानता होनी चाहिए। उन्हें नियुक्ति के लिए विचार करने का अधिकार है, लेकिन नौकर का चयन करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित है। ऐसे प्राधिकरण को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या से संबंधित नीति निर्धारित करने का अधिकार है। कुछ मामलों में यह अकेले सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने का निर्णय ले सकता है। लोक सेवक जो पद पर पदोन्नति के पात्र हैं, वे स्वयं एक अलग वर्ग बनाते हैं और इसके विपरीत कुछ और न होने की स्थिति में वे यह शिकायत नहीं कर सकते कि सक्षम प्राधिकारी को भी कुछ पद उनके वर्ग के लिए आरक्षित करने चाहिए। इसलिए सीधी भर्ती द्वारा उच्च पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय पदोन्नति की उम्मीद करने वाले उसी विभाग के निचले पदों पर काम करने वालों के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

माननीय न्यायमूर्ति एच आर सोढ़ी के दिनांक 13 मार्च, 1972 *के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खण्ड* X *के अंतर्गत* लेटर्स पेटेंट अपील, सिविल *रिट सं 1972 में पारित की गई थी।* 1969 का 617।

जे. एन. कौशल, एडवोकेट-जनरल (हरियाणा) और श्री अशोक भान, एडवोकेट, अपीलकर्ताओं के लिए*।*

जे. एल. गुप्ता, एडवोकेट करमिंदर सिंह, एडवोकेट, प्रतिवादियों के लिए*।*

निर्णय

शर्मा, जे-लेटर्स पेटेंट के खंड X के तहत इस अपील में काफी महत्व के कानून का प्रश्न शामिल है।

उत्तरदाता पंजाब विधानसभा के सचिवालय में क्लर्क के रूप में सेवा में शामिल हुए और उनकी सेवा के प्रासंगिक विवरण नीचे दिए गए हैं: –

सीरियल नं.	*नाम 1234*	*की तारीख शामिल*	*की तारीख पुष्टीकरण*
1.	Shri Sita Ram	8-1-1959	17-2-
2.	श्री राजिन्दर सिंह	6-11-1962	15-9-
3.	Shri Som Dutt	6-11-1962	15-9-
4.	Shri Subhash Chander	6-11-1962	15-9-

वर्ष 1966 में पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पुनर्गठन पर, उन्हें हरियाणा राज्य को आवंटित किया गया था और वे इस प्रकार हैं-

वर्तमान में हरियाणा विधानसभा सचिवालय में सेवारत हैं। क्लर्क के रूप में, वे सहायकों के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। आरोप है कि सचिवालय में सुस्थापित परिपाटी के अनुसार वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर लिपिकों को पदोन्नत कर सहायकों के पद भरे जा रहे थे। एक अवसर पर अध्यक्ष ने आदेश दिया कि सहायकों के पदों पर पदोन्नति केवल उन्हीं लिपिकों की की जाए जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, क्लर्कों के बीच दो पदोन्नति की गई। कुछ क्लर्कों ने 1967 की सिविल रिट संख्या 315 दायर की, जिसमें पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए विभागीय परीक्षा की शुरुआत को चुनौती दी गई और 22 मार्च, 1968 को पीसी पंडित, जे द्वारा इसकी अनुमति दी गई। यह माना गया था कि सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए खुद को योग्य बनाने के लिए क्लर्क द्वारा एक परीक्षा उत्तीर्ण करने को निर्धारित करने वाले निर्देश अवैध थे। तथापि, इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि जहां तक पूर्ववर्ती पेप्सू राज्य विधानमंडल सचिवालय सेवा के कर्मचारियों का संबंध है, वे संविधान के अनुच्छेद 187 के तहत वर्ष 1952 में बनाए गए नियमों द्वारा राजप्रमुख द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से शासित होते थे। वे इन नियमों द्वारा शासित होते रहे और पदोन्नति हमेशा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाती है। दूसरे शब्दों में, सभी क्लर्कों की पदोन्नति एक ही आधार पर की जा रही थी। पेप्सू राज्य विधानमंडल सचिवालय में सेवा करने वाले क्लर्कों के मामले नियमों द्वारा शासित होते थे, जबकि उनके सहयोगियों के मामले, जिन्होंने पूर्ववर्ती पंजाब राज्य में सेवा की थी, एक प्रथा द्वारा शासित किए जा रहे थे। *स्पष्ट,* 10 फरवरी, 1969 को अध्यक्ष महोदय ने एक प्रशस्ति पत्र जोड़ा, अनुलग्नक "ई"। दैनिक ट्रिब्यून में 225-15-360/20-500 रुपये और सामान्य भत्ते के पैमाने में सहायक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयु सीमा 25 वर्ष थी (अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों के मामले में 30 वर्ष), सरकारी कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के मामले में आयु सीमा में भी छूट दी गई थी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए योग्यता यह थी कि एक उम्मीदवार को जे.सी.ओ. होना चाहिए और क्लर्क के रूप में 24 साल की सेवा होनी चाहिए, जिसमें से कम से कम 4 साल का होना चाहिए।दक्षिणी एक हेड क्लर्क। अन्य लोगों के लिए, निर्धारित योग्यता यह थी कि एक उम्मीदवार को हिंदी भाषा के पर्याप्त ज्ञान के साथ स्नातक होना चाहिए और सरकारी कार्यालय में क्लर्क के रूप में सात साल का अनुभव होना चाहिए। प्रतिवादियों ने सीधी भर्ती द्वारा सहायकों की नियुक्ति के श्री अध्यक्ष के निर्णय की वैधता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित आधारों पर - *

1. उन्होंने कहा कि **अध्यक्ष महोदय संविधान के अनुच्छेद 187 (3) के तहत हरियाणा** के राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अभाव में नियुक्तियां करने के लिए सक्षम नहीं थे।

2. राज्यपाल ऐसे नियम बनाने के लिए बाध्य थे जो अध्यक्ष महोदय को नियमों में शामिल योग्यता और सेवा की अन्य शर्तों के आधार पर सेवा में भर्ती करने का अधिकार देते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों के आधार पर अध्यक्ष द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी।

3. मान्यता प्राप्त प्रथा के अनुसार, सहायकों के पदों पर नियुक्ति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पहले से ही सेवा में मौजूद क्लर्कों को पदोन्नत करके की जानी थी। याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार था, जो उन्हें वंचित कर दिया गया है।

4. अध्यक्ष महोदय की कार्रवाई *दुर्भावनापूर्ण* थी क्योंकि उन्होंने सेवा में विशेष व्यक्तियों को शामिल करने की सुविधा के लिए योग्यताएं निर्धारित की थीं। इसके अलावा, उनकी कार्रवाई प्रतिशोधी थी और इस न्यायालय द्वारा पहले से दिए गए फैसले को पूर्ववत करने की इच्छा से प्रेरित थी।

इस याचिका पर सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य है कि वह नियुक्तियां करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत करने से पहले नियम बनाए। उन्होंने यह भी माना कि कार्यकारी निर्देश नियमों की जगह नहीं ले सकते। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, लेकिन इसका उपयोग संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन किया जाना है, जिसमें अनुच्छेद 187 भी शामिल है जो सेवा नियमों को तैयार करने पर विचार करता है। दूसरे शब्दों में, उचित सेवा नियमों के अभाव में तत्काल मामले में कार्यकारी शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। *दुर्भावना के सवाल पर,* विद्वान न्यायाधीश ने प्रतिवादियों के खिलाफ पाया।

अध्यक्ष महोदय अपील में आए हैं।

विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया है कि राज्यपाल के लिए संविधान के अनुच्छेद 187 (3) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाना आवश्यक नहीं था। यह उनके लिए खुला था कि वह एक कार्यकारी आदेश जारी कर अध्यक्ष को नियुक्तियां करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। उनके अनुसार, जहां एक क़ानून नियमों को तैयार करने पर विचार करता है, सक्षम प्राधिकारी कार्यकारी निर्देश जारी कर सकता है जो कानून की अदालत में न्यायसंगत होगा और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि राज्यपाल ने अपने कार्यों को त्याग नहीं दिया था जैसा कि उनके द्वारा सुझाव दिया गया था , उत्तरदाताओं को क्योंकि वास्तव में, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 187 के तहत कार्रवाई की थी

मैं

प्रतिवादियों की ओर से, श्री जवाहर लाल गुप्ता ने प्रस्तुत किया है कि भले ही संविधान के अनुच्छेद

187 (3) में "हो सकता है" शब्द का उपयोग किया गया है, फिर भी विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए लागू किए गए इस प्रावधान को अनिवार्य माना जाना चाहिए, और "हो सकता है" शब्द को "होगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। राज्यपाल ने अध्यक्ष महोदय को भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की योग्यता और सेवा शर्तों को निर्धारित करने की अनुमति देकर अपने कार्यों को त्याग दिया है। वह अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग एक ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से कर सकता था जो उसके अधीनस्थ हो और अध्यक्ष महोदय किसी के अधीनस्थ नहीं थे। चूंकि कोई दिशा-निर्देश प्रदान नहीं किए गए हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई कार्रवाई मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन थी। सीधी भर्ती के प्रावधान का प्रभाव पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 का उल्लंघन करते हुए प्रतिवादियों की सेवा शर्तों को बदलने का था, और एक प्रथा जिसका लगातार पालन किया जा रहा था, उसे भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्ववत नहीं किया जा सकता था।

प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए सरकार के विधायी विंग की स्थापना के ऐतिहासिक विकास पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। कौल और शकधर ने 'संसद की प्रथा और प्रक्रिया', पहले संस्करण, पृष्ठ 833 में निम्नलिखित शब्दों में लोकसभा के सचिवालय की व्याख्या का पता लगाया है।

> 1920 में मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों की शुरुआत के साथ, केंद्रीय विधानमंडल (द्विसदनीय बन गया और इसमें विधान सभा और राज्य परिषद शामिल थे|
>
> भारतीय विधानमंडल के दोनों सदनों का प्रशासनिक और लिपिकीय कार्य विधायी विभाग द्वारा किया जाता था। विधायी विभाग में भारत सरकार के सचिव दोनों सदनों के सचिव थे; विधायी विभाग में संयुक्त और उप सचिव विधानसभा और राज्य परिषद के सचिव के सहायक थे और दोनों सदनों के लिए मेज पर क्लर्कों को उनकी संख्या के बीच से आपूर्ति की गई थी; जबकि पूरे लिपिक प्रतिष्ठान विधायी विभाग के मंत्रालयी कर्मचारियों से प्रदान किए गए थे।
>
> 1921 में, कुछ सदस्यों द्वारा सभा के लिए एक अलग प्रतिष्ठान होने का सवाल सदन में उठाया गया था और यह मामला 1922 और 1923 के दौरान बहस में शामिल किया गया था। 1924 में, सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि "वर्तमान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अर्थव्यवस्था और दक्षता दोनों के हित में यह वांछनीय है कि विधान सभा का कार्य भारत सरकार के विधायी विभाग द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।
>
> तथापि, अगस्त, 1925 में जब श्री विट्ठलभाई पटेल अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने सभा के कई अन्य सदस्यों के साथ यह महसूस किया कि निर्वाचित अध्यक्ष की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि विधान सभा का सचिव भारत सरकार के अधीन विधायी विभाग का सचिव था। विधानसभा विभाग के लिए एक अलग कार्यालय होने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सदस्यों द्वारा विधानसभा में कई सवाल भी पूछे गए।

पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, अध्यक्ष पटेल ने जनवरी, 1926 में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया, जिसने विधान सभा के लिए एक अलग कार्यालय के निर्माण की वकालत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जो सरकार से स्वतंत्र और असंबद्ध हो। इस मामले को विचार और कार्रवाई के लिए तत्काल सरकार के पास भेज दिया गया था। चूंकि सरकार ने एक वर्ष से अधिक समय तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। श्री पटेल ने अध्यक्ष के रूप में पुन: निर्वाचित होने पर 17 अगस्त, 1927 को सरकार के समक्ष एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें विधान सभा के लिए एक अलग विभाग या कार्यालय स्थापित करने के लिए ठोस प्रस्ताव शामिल थे। भारत सरकार ने इस योजना को भारत के राज्य सचिव को भेज दिया, लेकिन उन्होंने कुछ मामलों में अध्यक्ष पटेल के विचारों को स्वीकार नहीं किया, जिन्हें पटेल ने महत्वपूर्ण माना। इसलिए, अध्यक्ष ने विचार के लिए अपना प्रस्ताव सीधे सदन को प्रस्तुत किया और जोरदार घोषणा की कि "एक निर्वाचित राष्ट्रपति (अध्यक्ष) के रूप में। मैं विधानसभा के प्रति जिम्मेदार हूं और किसी अन्य प्राधिकारी के प्रति नहीं।

22 सितंबर, 1928 को पंडित मोती लाल नेहरू ने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया कि एक अलग विधानसभा विभाग का गठन किया जाए और इसे सर्वसम्मति से अपनाया गया।

भारत के राज्य सचिव ने कुछ संशोधनों के साथ अपनी स्वीकृति प्रदान करने के बाद, संकल्प में सन्निहित योजना के लिए, "विधान सभा विभाग" के रूप में जाना जाने वाला एक अलग स्व-निहित विभाग 10 जनवरी, 1929 को गवर्नर-जनरल के पोर्टफोलियो में बनाया गया था, जिसमें विधान सभा के अध्यक्ष वास्तविक थे। सिर। विधान सभा विभाग (सेवा की शर्तें) नियम 1929 के अनुसार। स्टाफ के सदस्यों को स्पीकर की मंजूरी से नियुक्त किया जाने लगा।

स्वतंत्रता के बाद, संविधान के अनुच्छेद 187 के रूप में इस पद को उचित मान्यता दी गई थी, जो निम्नानुसार है:

(1) किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में एक पृथक सचिवालय कर्मचारी होगा:

परन्तु इस खंड की किसी बात का, विधान परिषद वाले राज्य के विधान-मंडल के मामले में, ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिए सामान्य पदों के सृजन को रोकने वाला नहीं समझा जाएगा।

(2) किसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के सचिवीय कर्मचारियों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकेगा।

(3) जब तक राज्य के विधान-मंडल द्वारा उपबंध (2) के अधीन उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक राज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति, जैसा भी मामला हो, से परामर्श करने के पश्चात्, विधान सभा या परिषद के सचिवीय स्टाफ में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए कोई भी नियम बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन प्रभावी होंगे। उक्त खंड के तहत"।

यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुरूप है जिसमें एक परंतुक है जिसके तहत राज्यपाल राज्य के मामलों के संबंध में पदों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बना सकता है। हालांकि, दो लेखों में नियोजित वाक्यांशविज्ञान में एक अंतर है। जहां अनुच्छेद 187 (3) में कहा गया है कि नियम राज्यपाल द्वारा बनाए जा सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक में कहा गया है

नियम या तो राज्यपाल द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाए जा सकते हैं जो वह निर्देश दे। इन दोनों अनुच्छेदों को अलग-अलग क्यों कहा गया, इसकी सराहना करने के लिए, हमारे संविधान के तहत राज्यपाल और अध्यक्ष द्वारा धारण किए गए उच्च पदों की प्रकृति का एक संक्षिप्त संदर्भ दिया जाना चाहिए।

हमारा संविधान संसदीय लोकतंत्र के ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य का पूरा कार्य उसके नाम पर संचालित किया जाता है। अनुच्छेद 164 के तहत, वह मुख्यमंत्री की सलाह प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वास्तविक और प्रभावी कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित हैं, जो राज्यपाल को उनके कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देती हैं, जिन्हें वह अपने विवेक से उपयोग करने के लिए आवश्यक संविधान के तहत है। अनुच्छेद 175 के तहत, उसे विधान सभा को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 176 के तहत, उन्हें आम चुनाव के बाद अपने पहले सत्र की शुरुआत में विधान सभा को विशेष संबोधन देने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, राज्य के राज्यपाल को लगभग वही शक्तियां दी गई हैं जो इंग्लैंड में राजा को प्राप्त हैं। वह आलोचना से परे हैं क्योंकि उनके कार्यों की जिम्मेदारी उनके मंत्रिपरिषद के कंधों पर है। वरीयता के क्रम में, वह राज्य के नंबर एक लोक सेवक के रूप में रैंक करता है। हर दूसरा सार्वजनिक पदाधिकारी उनसे कमतर पद रखता है। संविधान निर्माताओं ने उन्हें विधायी कार्यों के साथ उपयुक्त रूप से निवेश किया है, जिसमें विधायिका का सत्र नहीं होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी शामिल है। उन्हें विधायी विंग के लिए संविधान के अनुच्छेद 187 (3) के तहत, न्यायिक विंग के लिए अनुच्छेद 234 के तहत और राज्य सरकार के कार्यकारी विंग के लिए अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने का अधिकार है।

अध्यक्ष के उच्च पद का भी कम महत्व नहीं है। वह विधान सभा की अध्यक्षता करता है जिसमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जिसे राज्य के शासन के लिए कानून बनाने का कर्तव्य सौंपा जाता है। अपने क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय सर्वोच्च हैं और संविधान ने उन्हें अपने सचिवालय के प्रमुख के रूप में सही ढंग से स्वीकार किया है। अध्यक्ष के पद पर आसीन लोगों ने उन राजनीतिक दलों से खुद को अलग करने की एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा स्थापित की है, जिनसे वे अध्यक्ष के रूप में अपने चुनाव से पहले संबंधित थे। जाहिर।

यह वांछनीय था कि अध्यक्ष महोदय की स्थापना के सदस्यों के लिए नियम बनाने के लिए केवल राज्यपाल और अध्यक्ष ही सम्बद्ध हों अन्यथा अध्यक्ष महोदय की कार्रवाई किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों से बाध्य होगी जो वरीयता के वारंट और अध्यक्ष के पद की उच्च परंपराओं के अनुसार उनसे कमतर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति उस उच्च पद की गरिमा के अनुकूल नहीं होती जिसे अध्यक्ष महोदय जी ने निर्धारित किया है। ठीक इसी कारण से संविधान के अनुच्छेद 187(3) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल, अध्यक्ष के परामर्श के पश्चात्, विधान सभा के सचिवालय में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बना सकता है। राज्यपाल की विधायी शक्ति के संबंध में अनुच्छेद 309 में दिखाई देने वाले शब्द, "ऐसे व्यक्ति जो वह निर्देशित कर सकता है", संविधान के अनुच्छेद 187 (3) से जानबूझकर हटा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 187 और अनुच्छेद 309 में नियोजित वाक्यांशविज्ञान में अंतर से, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि राज्यपाल को इस मामले को अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ने के बजाय विधानसभा के सचिवालय कर्मचारियों के सदस्यों की सेवा शर्तों को स्वयं निर्धारित करना चाहिए। अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल के अधिकार के तहत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस सरल कारण से प्रयोग योग्य बनाई गई थी कि कार्यपालिका के तहत सेवाओं की प्रकृति और संख्या बड़ी थी। अध्यक्ष महोदय के सचिवालय कर्मचारियों के मामले में भी यही विचार नहीं है।

न ही राज्यपाल के लिए संविधान के अनुच्छेद 187 (3) के तहत वैधानिक नियम तैयार करना आवश्यक है, इससे पहले कि श्री अध्यक्ष अपने सचिवालय कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकें। इस लेख में नियोजित भाषा में; "... वही राज्यपाल, परामर्श के बाद स्पीकर के साथ
नियम बनाओ", शब्द का उपयोग, "हो सकता है" *प्रथम दृष्टया यह* दर्शाता है कि राज्यपाल के लिए यह विवेकाधीन है कि वह या तो नियम बनाए या सेवा नियम बनाने से परहेज करे। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "हो सकता है" को "होगा" शब्द के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस विषय पर कानून को मैक्सवेल ने "विधियों की व्याख्या" पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में संक्षेप में प्रस्तुत किया है। 10 वां संस्करण, पृष्ठ 381 पर। इस प्रकार है:-

> "दूसरी ओर, जहां एक क़ानून टी के नुस्खे एक सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन से संबंधित हैं और जहां उनकी उपेक्षा में किए गए कृत्यों की अमान्यता उन व्यक्तियों के लिए गंभीर सामान्य असुविधा या अन्याय का कारण बनेगी, जिनके पास सौंपे गए लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है। विधायिका के आवश्यक उद्देश्यों को बढ़ावा दिए बिना कर्तव्य, ऐसे नुस्खे आम तौर पर उन लोगों के मार्गदर्शन और सरकार के लिए केवल निर्देशों के रूप में समझे जाते हैं, जिन पर कर्तव्य लगाया जाता है, या, दूसरे शब्दों में, केवल निर्देशिका के रूप में। उनकी उपेक्षा वास्तव में दंडात्मक हो सकती है, लेकिन यह उनकी उपेक्षा में किए गए कार्य की वैधता को प्रभावित नहीं करता है।

उत्तर प्रदेश राज्य *बनाम* बाबू राम (ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 751)(1), में अनुमोदन के साथ इस ऋषि *को स्वीकार करते* हुए न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"व्याख्या के प्रासंगिक नियमों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है: जब कोई मूर्ति "होगा" शब्द का उपयोग *करती है, तो प्रथम* दृष्टया, यह अनिवार्य है, लेकिन न्यायालय कानून के पूरे दायरे में सावधानीपूर्वक भाग लेकर विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगा सकता है। विधायिका की वास्तविक मंशा का पता लगाने के लिए न्यायालय, अन्य *बातों के साथ-साथ,* संविधि की प्रकृति और डिजाइन पर विचार कर सकता है, और उन परिणामों पर विचार कर सकता है जो इसे एक या दूसरे तरीके से बनाने से उत्पन्न होंगे, अन्य प्रावधानों के प्रभाव पर विचार कर सकता है जिससे विचाराधीन प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता से बचा जाता है। यह कि क़ानून प्रावधानों का अनुपालन न करने की आकस्मिकता का प्रावधान करता है, तथ्य यह है कि प्रावधानों का पालन न करने पर कुछ जुर्माना लगाया जाता है या नहीं, इससे होने वाले गंभीर या तुच्छ परिणाम, और, सबसे ऊपर, क्या कानून का उद्देश्य पराजित हो जाएगा या आगे बढ़ जाएगा।

अनुच्छेद 187 (3) के तहत नियम बनाते समय, किसी राज्य का राज्यपाल, निस्संदेह, सार्वजनिक कार्य करता है। संविधान में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि इन कार्यों को करने के लिए किसी पर कुछ जुर्माना लगाया जाएगा। इन परिस्थितियों में, यह माना जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 187 (3) का प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका है।

यह मामला असंगत नहीं है /अनुच्छेद 309 का परंतुक, जो संविधान के अनुच्छेद 187 (3) के अनुरूप है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक अवसरों पर विचार के लिए आया था।

भूमि का *बी. एन. नागराजन और अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य,* (2) में, यह निम्नानुसार देखा गया था:

> "श्री नांबियार का तर्क है कि शब्द, "विशेष रूप से इस संबंध में बनाई गई ऐसी सेवा की भर्ती के नियमों में निर्धारित किए गए होंगे" स्पष्ट रूप से धीमा है कि जब तक इस संबंध में नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक किसी भी सेवा में कोई भर्ती नहीं की जा सकती है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत किसी सेवा का गठन करने या किसी पद को सृजित या भरे जाने से पहले भर्ती आदि के नियम बनाना अनिवार्य नहीं है। यह कहना नहीं है कि यह वांछनीय नहीं है कि आमतौर पर उन सभी मामलों पर नियम बनाए जाने चाहिए जो नियमों में सन्निहित होने के लिए अतिसंवेदनशील हैं। दूसरा, राज्य सरकार के पास उन सभी मामलों के संबंध में, जिनके संबंध में राज्य के विधान-मंडल को शक्ति है, कानून बनाने की कार्यकारी शक्ति है। इससे यह पता चलता है कि राज्य सरकार के पास सूची II, प्रविष्टि 41, राज्य लोक सेवाओं के संबंध में कार्यकारी शक्ति होगी। इस न्यायालय ने *राम जवाया कपूर* बनाम *पंजाब राज्य* (3), *मामले में यह फैसला सुनाया था* कि यह आवश्यक नहीं है कि कार्यपालिका को कार्य करने में सक्षम बनाने से पहले एक कानून पहले से मौजूद होना चाहिए और यह कि कार्यपालिका की शक्तियां केवल इन कानूनों को लागू करने तक ही सीमित हैं। हम संविधान के अनुच्छेद *309 की* शर्तों में कुछ भी नहीं देखते हैं *जो संविधान के अनुच्छेद* 162 *के तहत 'कानून के बिना' कार्य करने की कार्यपालिका की शक्ति को कम करता है।* यह उल्लेख करना शायद ही आवश्यक है कि यदि इस मामले पर कोई वैधानिक नियम या अधिनियम है, तो कार्यपालिका को उस अधिनियम या नियम का पालन करना चाहिए और वह संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके उस नियम या अधिनियम की उपेक्षा या विरोध नहीं कर सकती है। (जोर दिया गया)।

फिर से, *संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य* (**1973 के सीडब्ल्यू 2675 का फैसला 31 मई, 1974 को हुआ**), यह आयोजित किया गया था: –

> "हम श्री एन सी चटर्जी के अगले तर्क पर विचार करते हैं, कि यदि कार्यकारी सरकार को इस संबंध में नियम बनाए बिना नियुक्तियां करने और सेवा की शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति दी जाती है।

1. ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 1942.
2. 1955–2 एस.सी.आर. 225: (ए.आई.आर. 1955 एस: सी: 549):
3. ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1910.

अनुच्छेद 309 के परंतुक में, अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा, क्योंकि नियुक्तियां मनमानी और मनमौजी होंगी। हमारे विचार में, याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं है। यदि राजस्थान राज्य ने चयन पदों पर नियुक्तियों से पहले अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया होता, तो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं होता क्योंकि हर कोई जो सेवा की शर्तों को देखते हुए पात्र था और विचार का हकदार था, वास्तव में उन चयन पदों पर पदोन्नति करने से पहले विचार किया गया था।

तेजिंदर *सिंह संधू बनाम पंजाब राज्य और अन्य* (1957 एस.सी.आर) मामले में, पीठ की ओर से बोलते हुए, मैंने निम्नानुसार कहा:

उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि सरकार इस विषय पर किसी भी वैधानिक नियम के अभाव में कार्यवाहक और अस्थायी लोक सेवकों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने में सक्षम है.'

मेरी सुविचारित राय में, संविधान के अनुच्छेद 187 (3) के तहत राज्यपाल की विधायी शक्ति पर भी यही विचार लागू होंगे। यदि उस प्रावधान के तहत नियम बनाए जाते हैं, तो बिना किसी अपवाद के इसका पालन करना होगा, लेकिन यदि इस विषय पर कोई नियम नहीं हैं, तो यह राज्यपाल के लिए खुला होगा कि वह अध्यक्ष को अपने सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत करने के लिए कार्यकारी निर्देश जारी करें।

अध्यक्ष महोदय ने सीधी भर्ती द्वारा सहायकों की नियुक्ति करते समय 11 अप्रैल, 1953 को समग्र राज्य पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों पर कार्य किया। ये निर्देश निम्नानुसार पढ़े गए हैं:

"30 मार्च, 1953 के अपने आदेश को जारी रखते हुए, जिसके द्वारा पंजाब विधान परिषद सचिवालय और पंजाब विधानसभा सचिवालय का गठन किया गया था, पंजाब के राज्यपाल को यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में सचिव नियुक्त करने की शक्ति अध्यक्ष या अध्यक्ष के परामर्श से सरकार के पास होगी। जैसा भी मामला हो और सब कुछ

अन्य नियुक्तियां और पदोन्नति आदि से संबंधित सभी मामले सभापति या अध्यक्ष के पास होंगे, जैसा भी मामला हो। नियुक्तियां, निश्चित रूप से, लोक सेवा आयोग या नियुक्ति बोर्ड के संदर्भों के संबंध में सरकारी आदेशों के अधीन की जाएंगी।

पंजाब के राज्यपाल को यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष वित्त विभाग के परामर्श से अपने संबंधित सचिवालयों में नए पद सृजित करने के लिए सक्षम होंगे।

यह विवादित नहीं है कि उत्तरदाताओं को स्वयं इन निर्देशों के तहत श्री अध्यक्ष में निहित शक्ति के अनुसार सेवा में भर्ती किया गया था। यदि उनकी ओर से संबोधित तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो आवश्यक परिणाम यह होगा कि क्लर्क के रूप में उनकी अपनी नियुक्तियों को अवैध घोषित करना होगा। इस स्थिति में, अध्यक्ष महोदय की कार्रवाई को चुनौती देने के उनके अधिकार की नींव ही गायब हो जाएगी। ऊपर उल्लिखित कानूनी विचारों के अलावा, कानून की एक अदालत तय स्थिति को अस्थिर करने के लिए अत्यधिक भ्रष्ट होगी और केवल इस आधार पर मुझे अध्यक्ष महोदय की कार्रवाई को बनाए रखने के लिए उचित ठहराया जाएगा।

उत्तरदाताओं की ओर से संबोधित तर्क कि कार्यकारी निर्देश श्री अध्यक्ष को अपने सचिवालय में नियुक्तियां करने में अनिर्देशित और मनमानी शक्ति देते हैं, भी निराधार है। सर्वप्रथम, यह शक्ति राज्य सरकार के विधायी स्कंध के प्रमुख में निहित की गई है। विधान सभा का सचिवालय तुलनात्मक रूप से इतना बड़ा नहीं है। विभाग के प्रमुख को उन पदों की संख्या और प्रकृति का पता होना चाहिए जो उनके सचिवालय के पास अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए होने चाहिए। जब मेरी शक्ति सार्वजनिक कार्यों को करने वाले एक उच्च गणमान्य व्यक्ति में निहित होती है, तो इसे भेदभावपूर्ण के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्राधिकरण में एक बड़ा विवेक निहित करता है। *पन्नालाल बिंजराज* बनाम *भारत संघ* (6), यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

यह भी याद रखा जा सकता है कि यह शक्ति मामूली अधिकारियों में नहीं बल्कि आयकर आयुक्त और केंद्रीय राजस्व बोर्ड जैसे शीर्ष रैंकिंग अधिकारियों में निहित है, जो संबंधित आयकर अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करते हैं। यह शक्ति विवेकाधीन है और जरूरी नहीं कि भेदभावपूर्ण और दुरुपयोग हो।

शक्ति को आसानी से नहीं माना जा सकता है जहां विवेकाधिकार ऐसे उच्च अधिकारियों में निहित है, *जैसा कि माताजोग डोबे बनाम एच. सी. भारी* (7) इसके अलावा, एक धारणा यह है कि सार्वजनिक अधिकारी ईमानदारी से और कानून के नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। *वैन डी कैर, आदि,* (8) इस न्यायालय द्वारा *ए थंगल कुंजू मुसालियर बनाम एम. वेंकटचलम पोट्टी (9) मामले में भी यह टिप्पणी की गई* है आयकर जांच आयोग को उनके मामलों के संदर्भ में करदाताओं के बीच भेदभाव की संभावना के संदर्भ में कहा, "यह माना जाना चाहिए कि जब तक इसके विपरीत नहीं दिखाया जाता है, तब तक यह माना जाना चाहिए कि किसी विशेष कानून का प्रशासन 'बुरी नजर या असमान हाथ से नहीं किया जाएगा और सरकार द्वारा जांच के लिए भेजे जाने वाले व्यक्तियों के मामलों का चयन किया जाएगा। आयोग भेदभावपूर्ण नहीं होगा।

निवास, कार्यकारी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा शक्ति का प्रयोग कुछ महत्वपूर्ण प्रासंगिक विचारों से बचाव किया जाता है। नियुक्तियों और आगे की पदोन्नति से संबंधित मामले लोक सेवा आयोग या नियुक्ति बोर्ड, जैसा भी मामला हो, के अनुमोदन के अधीन हैं। इसी प्रकार, जब नए पद सृजित किए जाने हैं तो वित्त विभाग से परामर्श करना होगा। यह सर्वविदित है कि जहां तक राज्य की संचित निधि से धनराशि खर्च करने का प्रश्न है, वित्त विभाग प्रत्येक मामले में मामले की सावधानीपूर्वक जांच करता है। लोक सेवा आयोग लोक सेवकों के चयन में सहायता करने के अलावा, उस प्राधिकरण को उपयोगी सुझाव देता है जिसके कहने पर नियुक्तियां की जानी हैं। जब निर्देशों को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो मनमानी का आरोप जमीन पर गिर जाता है।

राज्यपाल द्वारा राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग से संबंधित तर्क निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार

------------_ }

संविधान के अनुच्छेद 154 की अब जांच की जा सकती है। यह लेख निम्नानुसार है:

(1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

(2) इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं होगा -

a) किसी अन्य प्राधिकारी पर किसी मौजूदा कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा; नहीं तो

b) संसद या राज्य के विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी

को कानून द्वारा कार्य प्रदान करने से रोकना"

प्रतिवादियों की ओर से उठाया गया सटीक तर्क यह है कि संविधान के अनुच्छेद 187 के परंतुक के तहत नियम बनाते समय राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है। इन नियमों में पदों की पात्रता और अन्य शर्तों का उल्लेख करना होगा। यह मानते हुए कि राज्यपाल आवश्यक कार्यकारी निर्देश तैयार करके कानून के इस प्रावधान के तहत कार्य कर सकता है, पदों की पात्रता और सेवा की अन्य शर्तों को स्वयं राज्यपाल द्वारा इन निर्देशों में शामिल किया जाना है। वह अध्यक्ष महोदय को सेवा की शर्तें निर्धारित करने की यह शक्ति प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित संविधान के अनुच्छेद 154 (1) के अर्थ के भीतर उनके अधीनस्थ नहीं है।

तर्क इसके चेहरे पर आकर्षक दिखता है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर व्यवहार्यता की सभी झलक खो देता है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि राज्य का प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को हमारे संविधान के तहत एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। एक लोक सेवक नंबर एक के रूप में, वह राज्य के अन्य सभी सार्वजनिक पदाधिकारियों पर वरीयता लेता है। संविधान के अनुच्छेद 154 (1) में प्रयुक्त "अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से" शब्दों में यह आवश्यक रूप से यह नहीं कहा गया है कि राज्यपाल को एक अधिकारी के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिसे वह स्वयं नियुक्त करता है। ये शब्द इंगित करते हैं कि राज्यपाल द्वारा उन सार्वजनिक पदाधिकारियों के माध्यम से शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जो वरीयता क्रम में निचले स्थान पर हैं।

इस मामले में, यह तर्क कि राज्यपाल ने किसी अन्य प्राधिकरण के माध्यम से विधायी कार्यों का प्रयोग किया है, उतना नहीं उठता क्योंकि उन्होंने स्वयं 11 अप्रैल, 1953 को कार्यकारी निर्देश जारी किए हैं।

गुप्ता की इस दलील में कोई दम नहीं है कि सहायकों की सीधी भर्ती का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्रतिवादियों को दिए गए किसी भी अधिकार का उल्लंघन करता है। एक प्राधिकरण जो किसी सेवा में भर्ती करने के लिए सक्षम है, उसे सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या से संबंधित नीति निर्धारित करने का अधिकार है। कुछ मामलों में यह अकेले सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने का निर्णय ले सकता है। लोक सेवक जो पद पर पदोन्नति के पात्र हैं, वे स्वयं एक अलग वर्ग बनाते हैं और इसके विपरीत कुछ और न होने की स्थिति में वे यह शिकायत नहीं कर सकते कि सक्षम प्राधिकारी को भी कुछ पद उनके वर्ग के लिए आरक्षित करने चाहिए। अवैध भेदभाव पर आधारित तर्क केवल तभी उठाया जा सकता है जब एक ही वर्ग से संबंधित दो व्यक्तियों के साथ अलग-अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। न ही तत्काल मामले में यह तर्क दिया जा सकता है कि उत्तरदाताओं को सीधी भर्ती के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं थी। 10 फरवरी, 1969 के विज्ञापन में क्लर्कों को सहायक के पद के लिए आवेदन करने से नहीं रोका गया है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं जैसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। यदि किसी पद पर पदोन्नति के लिए कतार में लगे व्यक्तियों को सीधी भर्ती लेने का अवसर दिया जाता है, तो उनकी ओर से यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि उच्च पद के लिए विचार के लिए उनके दावे से इनकार किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में केवल यह प्रावधान है कि नागरिकों को राज्य के तहत रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता होनी चाहिए। उन्हें नियुक्ति के लिए विचार करने का अधिकार है, लेकिन नौकर का चयन करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित है, उत्तरदाताओं का यह मामला नहीं है कि उन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया था और उनके आवेदनों पर 10 फरवरी, 1969 के विज्ञापन के संदर्भ में विचार नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में उनके मुंह में अवैध भेदभाव की शिकायत करना झूठ नहीं है।

अंत में, श्री गुप्ता ने तर्क दिया कि अनादि काल से इन पदों को केवल पदोन्नति से भरा गया था। इस स्थापित प्रथा ने प्रतिवादियों को उच्च रैंक पर पदोन्नत होने का अधिकार प्रदान किया था और अध्यक्ष राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 115 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना इस प्रथा से अलग नहीं हो सकते थे। इस तर्क को समझने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 115 के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। वे हैं:

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पहले संघ के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है अजमेर के किसी भी मौजूदा राज्य में उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन। भोपाल। कूर्ग, कच्छ और विंध्य प्रदेश, या मैसूर, पंजाब, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों में से किसी एक संघ और सौराष्ट्र में से किसी के मामलों के साथ मिलकर

काम कर रहे हैं, उस दिन से, यह माना जाएगा कि उन्हें (उस मौजूदा राज्य के उत्तराधिकारी राज्य) के मामलों के संबंध में सेवा करने के लिए आवंटित किया गया है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पहले किसी मौजूदा राज्य के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है, जिसके राज्य-क्षेत्र के भाग को परी टीटी के उपबंधों द्वारा दूसरे राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया है, उस दिन से, उस मौजूदा राज्य के प्रधान उत्तराधिकारी स्टा.एफसी के मामलों के संबंध में अनंतिम रूप से कार्य करता रहेगा, जब तक कि वह किसी अन्य उत्तराधिकारी राज्य के मामलों के संबंध में अनंतिम रूप से सेवा में केंद्र सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपेक्षित न हो।

(3) * * * # * *

((6) *(* * "t* *$* *

7. इस धारा में कुछ भी नियुक्त होने के बाद प्रभावित नहीं माना जाना चाहिए; संघ या किसी राज्य के संबंध में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के निर्धारण के संबंध में संविधान के भाग XIV के अध्याय I के प्रावधानों का संचालन:

बशर्ते कि उप-धारा (1) एनआर सब-एससीआरटी.आयन (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में नियुक्त व्यक्ति के मामले में लागू सेवा की शर्तें केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके डी'एसएडी सीएम + एगो में भिन्न नहीं होंगी।

जब कानून के इस प्रावधान की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ववर्ती पंजाब और पेप्सू राज्यों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को वैधानिक संरक्षण दिया गया है और इसे उनके नुकसान के लिए तब तक भिन्न नहीं किया जा सकता है जब तक कि उप-धारा जी के परंतुक के संदर्भ में केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हो। ऊपर उद्धृत। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रावधान मामलों में हानिकारक उपचार के संबंध में विलय इकाइयों की आशंकाओं को दूर करने के लिए लागू किया गया है।

नए राज्यों में सेवा से संबंधित। इस निर्णय की प्रस्तावना में यह पहले ही देखा जा चुका है कि सभी उत्तरदाताओं ने पूर्ववर्ती पंजाब राज्य में **सेवा में** प्रवेश किया था। वे 11 अप्रैल को समग्र राज्य पंजाब के राज्यपाल द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों द्वारा शासित थे। 1953. इन अनुदेशों में कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया गया है कि अध्यक्ष महोदय लिपिकों को पदोन्नत करके सहायकों की नियुक्ति करने के लिए बाध्य होंगे। पेप्सू के कर्मचारियों के लिए, राजप्रमुख द्वारा बनाए गए नियम अस्तित्व में थे। जिस प्राधिकारी पर श्री गुप्ता ने भरोसा किया था, अर्थात् *सत प्रकाश बनाम रुव चंद और अन्य* (10) लागू नहीं है। उस मामले में, पूर्ववर्ती पेप्सू राज्य के एक कर्मचारी ने शिकायत की थी कि पेप्सू में वह उस राज्य में प्रचलित प्रथा के तहत पदोन्नति पाने का हकदार था, लेकिन उसे एक सेवा नियम द्वारा पंजाब के समग्र राज्य में पदोन्नति से वंचित किया जा रहा था, जिसे केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रख्यापित नहीं किया गया था। नतीजतन, उत्तरदाताओं की ओर से उठाया गया यह विवाद उनके मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

पूर्वगामी चर्चा का परिणाम यह है कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय किसी भी आधार पर टिकाऊ नहीं है और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए अध्यक्ष महोदय की कार्रवाई को किसी भी कानूनी चुनौती के अधीन नहीं किया जा सकता है।

इस मामले से अलग होने से पहले, मैं यह देख सकता हूं कि विधानसभा सचिवालय के संवर्ग में इस पद के पदधारियों की पात्रता और सेवा की अन्य शर्तों को प्रमाणित करने वाले वैधानिक नियम बनाना अत्यधिक वांछनीय होगा । सेवा नियम कर्मचारियों के साथ व्यवहार की एकरूपता सुनिश्चित करेंगे और उन्हें अध्यक्ष के आचरण के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाने से रोकेंगे।

ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए, इस अपील को स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, मामले की परिस्थितियों में, पार्टियों को अपनी लागत को वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

नौला, सी.जे.-मैं सहमत हूँ।

के.एस. के .

7. (1955) 2. एस.सी.आर. 925 पृष्ठ 932. (स) ए.आई.आर. : 1956 एस:सी. 44 पृष्ठ 48:
8. (1905) 199 यू.एस. 522; 50 लॉ एड 305।
9. (1955) 2 एस.सी.आर. 1196. (स) ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 246

10. 1974 एस लॉ वीकली रिपोर्टर 291 (डी.बी.)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरुग्राम, हरियाणा।

(2) 24 बिक्री कर मामले 101।

(3) 14 बिक्री कर मामले 878।